-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को अवैध तंमचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**

❖ **गैंग के लीडर को पूर्व में ही दिनांक 10.01.2026 को भेजा जा चुका है जेल।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मटौध पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर लूटपाट, चोरी तथा नकबजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को अवैध तंमचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ लूटपाट, चोरी नकबजनी आदि की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था। इसी क्रम में थाना मटौंध पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान अभियुक्त को खड्डी तिराहा थाना मटौंध से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। बता दें कि गैंग के लीडर अखिलेश पुत्र संतोष निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को पूर्व में दिनांक 10.01.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पवन कुमार पुत्र राजू निवासी ग्राम मवई थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग

➢ मु0अ0सं0 45/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त पवन उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 181/25 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 182/25 305/317(2) बीएनएस कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(बी)i/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह प्र0नि0 थाना मटौंध
2. नि0 श्री इन्दल यादव
3. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार
4. कां0 शिवम